कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली

सख्या: ए-33/13/5/2009-स्था.1.सं.नि.(रा.भा.) दिनांक: 09.10.2009

वर्ष 2009 का कार्यालय आदेश संख्या: 150

सक्षम प्राधिकारी ने विभागीय पदोन्नति समिति/संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर श्री क्षेत्रपाल शर्मा की 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड (पी.बी.)-3 (15,600-39,100/- रुपये) में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के संवर्ग में नियमित आधार पर पदोन्नति का अनुमोदन किया है।

श्री शर्मा की नियमित पदोन्नति दिनांक 30.09.2009 (पूर्वाह्न) से प्रभावी होगी। उनकी पदोन्नति समय-समय पर यथासंशोधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृन्द एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होगी और वे नियमित पदोन्नति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। पदोन्नति पर उनका वेतन 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ पी.बी.-3 (15,600-39,100/- रुपये) के वेतनमान में मूल नियम 22(1)(क)(1) के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। वे मूल नियम 22(1)(क)(1) के अंतर्गत अपवादी खण्ड के अनुसार अपना विकल्प इस आदेश के जारी होने के एक महीने के अन्दर दे सकते हैं।

कार्यग्रहण रिपोर्ट सभी संबंधितों को यथा समय भेजी जाए।

(दीपक जोशी)
संयुक्त निदेशक-1

1. संबंधित अधिकारी।
2. सचिव (ए.पी.2) को उनके पत्र संख्या एफ-1/39(6)2009.ए.पी.2 दिनांक 25.09.20090 के संदर्भ में
3. क.रा.बी. निगम के सभी सदस्य।
4. क.र.बी.निगम की स्थायी समिति के सभी सदस्य।
5. सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक/सभी प्रभागीय प्रमुख, मुख्यालय के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक।
7. सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक-5, मुख्यालय।
8. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/निदेशक(चिकित्सा) नोएडा/निदेशक, क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल, के.के. नगर, चेन्नई।
9. चिकित्सा अधीक्षक, सभी क.रा.बी. अस्पताल और क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल।
10. अपर आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली।
11. निदेशक (वित्त), मुख्यालय।
12. अपर आयुक्त/जोनल सतर्कता के सभी संयुक्त निदेशक।
13. राजभाषा शाखा, मुख्यालय।
14. पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय/वैयक्तिक फाइल/गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां।